"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017 —— ज्येष्ठ 9, शक 1939

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ13-02/दो-गृह/न. से./2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा में भर्ती एवं उनके सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 कहलायेंगे ।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवायें एवं राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) छत्तीसगढ़;

   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा;

(ट) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा समिति के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अनुमोदन के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे शासन द्वारा इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित किया जाये।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा भाासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

(7) उप–नियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी, अर्थात्:–

(क) **आवेदन पत्रों की छानबीनः–** आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए, समस्त विहित मापदण्ड/अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन प्रकिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(ख) **शारीरिक माप के लिये मापदण्डः–** अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, नियम 8 के उप–नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड/योग्यता के अनुसार होगी।

(ग) **शारीरिक दक्षता परीक्षाः–** यह परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी। यह परीक्षा कुल 100 अंको की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे तथा इस परीक्षा की मदें/शीर्ष या वर्ग, अनुसूची–पांच के अनुसार होगी।

(घ) **लिखित परीक्षाः–** लिखित परीक्षा कुल 100 अंको की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगाः–

स. क्र.	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट,सामान्य ज्ञान/तार्किक/विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर/फिटर/इलेक्ट्रीशियन/कारपेन्टर/ब्लेकस्मिथ ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा। समय–समय पर आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा के विषय (यों) को परिवर्तन करने तथा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्रता के लिये, अंकों को कम या अधिक करने का अधिकार महानिदेशक को होगा।

टीपः– शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा

अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा रिक्त पदों की 15 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये।

(ङ) **बोनस अंकः–** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि वह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेंगे, भले ही अभ्यर्थी, दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें हैंः–

(क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अन्तर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)।

(ग) एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाणपत्र धारी।

(च) **चयन सूचीः–** शारीरिक दक्षता परीक्षा–100, लिखित परीक्षा–100 एवं बोनस अंक–10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंकों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने–अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गों के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

यह सूची तैयार होने के पश्चात्, होमगार्ड के लिए आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूहवार आरक्षण को प्रभावी करना होगा। यदि उक्त सूची में, पूर्व में कुल 25 प्रतिशत होमगार्ड न हो तो परीक्षा में सम्मिलित सभी होमगार्ड की सूची मेरिट क्रम में तैयार की जायेगी तथा मेरिट क्रम में 25 प्रतिशत के मान से मापदण्ड के अनुसार नाम पृथक किये जायेंगे और तत्पश्चात् इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संदर्भित अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की सूचियों में सम्मिलित किया जायेगा, जो कि 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए आवश्यक हो। केवल न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही नगर सेना कोटा के अन्तर्गत आरक्षण की पात्रता होगी। तद्नुसार, इसके प्रतिस्थापना प्रक्रिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूची के मेरिट सूची में निम्न क्रम के गैर होमगार्ड अभ्यर्थी(यों) सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है, किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से, उनकी मेरिट सूची जातिवार बनायी जायेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जातिवार तैयार की जायेगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया उसी वर्ग में लागू होगी जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी होती है। यदि होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संवर्ग में, पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो इस संवर्ग के अन्तर्गत पद, आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नही होंगे, यतः ऐसे पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के लिए पृथक सूची तैयार की जायेगी, किन्तु महिलाओं का आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नही किये जायेंगे, अतएव यदि किसी ऐसे वर्ग के पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उस पद को उसी संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(छः) **चयन सूची का अनुमोदनः–** लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति

समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात्, अनुमोदन आदेश जारी किये जायेंगे।

चयन सूची का परीक्षण/जांच करते समय मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहियेः–

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?
(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?
(ग) क्या भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या शिकायत सामने आई है जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो?
(घ) क्या कोई अन्य चूक, त्रुटि या लापरवाही परिलक्षित हो रही है?

यदि महानिदेशक उपरोक्त उल्लिखित त्रुटि या चूक पाता है, तो वह भर्ती को निरस्त करने संबंधी स्पष्ट आदेश जारी करेगा। यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिये कि गणितीय त्रुटि के कारण, अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो ही ऐसी त्रुटि के आधार पर भर्ती निरस्त की जायेगी। केवल अप्रमाणित शिकायतों अथवा जन चर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जायेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जायेगी। अनुमोदन के पूर्व, महानिदेशक सभी आवश्यक दस्तावेज जांच, परीक्षण या विचारण हेतु बुला सकेगा।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन

वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला /विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शारीरिक दक्षता/अर्हतायें:–**

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये ऊंचाई – 168 से.मी. या अधिक।
महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊंचाई – 153 से.मी. या अधिक।

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नही होनी चाहिए।

(ग) सीना– बिना बुलाये 81 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेमी.) तथा फुलाने पर 86 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 81 सेमी.)।

सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अन्तर न्यूनतम 5 सेमी. का होना चाहिये तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता/परीक्षा से मुक्त होगी।

टीपः–(1) विशेष प्रकरणों में महानिदेशक द्वारा शारीरिक माप मानदण्ड (क) एवं (ख) के संबंध में छूट दी जा सकेगी।

(2) ऊंचाई एवं सीने की माप के संबंध में समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/विकार नहीं होना चाहिये। चश्में के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिये और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृश्यता होना चाहिये और वर्णांधता नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होना चाहिये।

(चार) (क) फीसः— अभ्यर्थी को समिति द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीसः— उन अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा/टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय—समय पर विहित की जाए।

9. **निरर्हता.**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी

दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:–** (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती–** (एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(दो) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखें जायेंगे तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश तथा अन्य प्रावधान भी लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार,

यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रकम में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) यह सेवा आपातकालीन एवं जोखिम पूर्ण सेवा होने से निःशक्त कोटा नही रखा गया है।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रभाासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।

(3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना**.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु चयन, गुणागुण (मेरिट) तथा सभी संदर्भों में उपयुक्तता (वरिष्ठता सह उपयुक्तता) पर आधारित होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची पर महानिदेशक का अनुमोदन**.— नियम 15 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची समिति द्वारा निम्नलिखित के साथ महानिदेशक को अग्रेषित की जायेगी:—

(1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में सेवा के समस्त सदस्यों के अभिलेख जिसका सूची में की गई अनुशंसा द्वारा अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट सेवा के सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति द्वारा यथा अभिलिखित कारण।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. **परिवीक्षा.**– (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्श तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रू. में	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फायर ऑफिसर (इंस्पेक्टर रैंक)	13	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	महानिदेशक
2.	स्टेशन ऑफिसर क्यूएम / एमटीओ / इंस्पेक्टर / कम्पनी कमाण्डर	04 06	–तदैव–	9300–34800	4300	–तदैव–
3.	प्लाटून कमाण्डर / उप–निरीक्षक फायर ऑफिसर (सब–इंस्पेक्टर रैंक)	35	–तदैव–	5200–20200	2800	–तदैव–
4.	हवलदार प्रशिक्षण	04	–तदैव–	5200–20200	2200	–तदैव–
5.	लीडिंग फायरमेन (एलएफएम)	63	–तदैव–	5200–20200	2200	–तदैव–
6.	मैकेनिक	04	–तदैव–	5200–20200	2200	–तदैव–
7.	कम्पाउण्डर	01	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
8.	मेल नर्स	02	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
9.	स्टोर कीपर	16	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
10.	फायरमेन	10	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
11.	हेल्पर–कम–फायरमेन	210	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
12.	वाहन चालक	37	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
13.	वाहन चालक ऑपरेटर	140	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
14.	वायरलैस ऑपरेटर	08	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
15.	वाचरूम ऑपरेटर	42	–तदैव–	5200–20200	1900	–तदैव–
	योग	**595**				

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति की स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फायर ऑफिसर (इंस्पेक्टर रैंक)	13	–	100%	–	यदि पदोन्नति हेतु कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवानिवृत्त अधिकारी के संविदात्मक नियोजन के माध्यम से भरा जायेगा।
2.	स्टेशन ऑफिसर क्यूएम/एमटीओ/इंस्पेक्टर/कम्पनी कमाण्डर	04 06	–	100%	–	–तदैव–
3.	प्लाटून कमाण्डर/उप–निरीक्षक फायर ऑफिसर (सब–इंस्पेक्टर रैंक)	35	50%	50%	–	–तदैव–
4.	हवलदार प्रशिक्षण	04	–	100%	–	–तदैव–
5.	लीडिंग फायरमेन (एलएफएम)	63	–	100%	–	–तदैव–
6.	मैकेनिक	04	100%	–	–	–तदैव–
7.	कम्पाउण्डर	01	–	–	100%	स्वास्थ्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर/संविदा पर
8.	मेल नर्स	02	–	–	100%	–तदैव–

9.	स्टोर कीपर	16	100%	—	—	
10.	फायरमेन	10	100%	—	—	
11.	हेल्पर–कम–फायरमेन	210	100%	—	—	
12.	वाहन चालक	37	100%	—	—	
13.	वाहन चालक ऑपरेटर	140	100%	—	—	
14.	वायरलैस ऑपरेटर	08	100%	—	—	प्रशिक्षित नगर सैनिक
15.	वाचरूम ऑपरेटर	42	100%	—	—	प्रशिक्षित नगर सैनिक
	योग	**595**				

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्लाटून कमाण्डर/ उप–निरीक्षक फायर ऑफिसर (सब– इंस्पेक्टर रैंक)	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एससी. /बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष	
2.	मैकेनिक	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।	
3.	स्टोर कीपर	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	
4.	फायरमेन	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	
5.	हेल्पर–कम–फायरमेन	18 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण	

				अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण	
6.	वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए	
7.	वायरलैस ऑपरेटर	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए	
8.	वाचरूम ऑपरेटर	18 वर्ष	28 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक	

टीपः– (1) मैकेनिक के पद पर चयन हेतु चयन समिति में, संबंधित ट्रेड से एक सदस्य, आईटीआई/अन्य तकनीकी संस्था से सम्मिलित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(3) अध्यक्ष को छोड़कर, चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि सदस्य होना अनिवार्य होगा।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पदों का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पदों का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फायर ऑफिसर (सब–इंस्पेक्टर रैंक)	05 वर्ष. स्टेशन ऑफिसर कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक है	फायर ऑफिसर / स्टेशन ऑफिसर (इंस्पेक्टर रैंक)	(1) महानिरीक्षक / अतिरिक्त मुख्य कमाण्डेंट (महानिदेशक द्वारा नामांकित) –अध्यक्ष (2) निदेशक, ट्रेनिंग / ऑपरेशन / संभागीय कमाण्डेंट एवं समकक्ष (महानिदेशक द्वारा नामांकित) –सदस्य (3) अग्निशमन स्टेशन अधिकारी / जिला कमाण्डेंट नगर सेना एवं समकक्ष (महानिदेशक द्वारा नामांकित) –सदस्य
2.	प्लाटून कमाण्डर / उप–निरीक्षक	05 वर्ष. एमटीओ पद के लिए डी.एण्ड एम. कोर्स होना आवश्यक है	स्टेशन ऑफिसर / क्यूएम / एमटीओ / निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर	
3.	लीडिंग फायरमेन / हवलदार प्रशिक्षण / मैकेनिक	05 वर्ष. सब–ऑफिसर कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक है	प्लाटून कमाण्डर / उप–निरीक्षक / फायर ऑफिसर (सब–इंस्पेक्टर रैंक)	
4.	स्टोर कीपर, फायरमेन हेल्पर–कम–फायरमेन, वाहन चालक, वाहन चालक ऑपरेटर, वायरलैस ऑपरेटर, बाचरूम ऑपरेटर	05 वर्ष. तथा फायरमेन कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक है	लीडिंग फायरमैन / हवलदार प्रशिक्षण	(1)निदेशक,प्रशिक्षण / ऑपरेशन / एसएसओ एवं समकक्ष (महानिदेशक द्वारा नामांकित) – अध्यक्ष (2) फायर ऑफिसर एवं जिला कमाण्डेंट दो अधिकारी (महानिदेशक द्वारा नामांकित) –सदस्य (3) निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर एचजी (महानिदेशक द्वारा नामांकित) –सदस्य सचिव

अनुसूची–पांच

(नियम–6 देखिए)

1. प्लाटून कमाण्डर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पुलिस विभाग में प्लाटून कमाण्डर/उप–निरीक्षक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा लागू होगा।
2. प्लाटून कमाण्डर/उप–निरीक्षक को छोड़कर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा अनिवार्य होगी:–

दौड़–100 मीटर– अधिकतम अंक–25

पुरूष–100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ **महिला**–100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरूष		महिला	
समय सेकेण्ड में	अंक	समय सेकेण्ड में	अंक
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

लम्बी कूद–अधिकतम अंक–25

पुरूष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17

05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक– अधिकतम अंक–25

पुरूष–गोला फेंक
(वजन–16 पाउण्ड)

महिला–गोला फेंक
(वजन 08 पाउण्ड)

पुरूष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	04 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	04 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीमबार–अधिकतम अंक–25

पुरूष– बीमबार

महिला– बीमबार

पुरूष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

Naya Raipur, the 30th May 2017

NOTIFICATION

F. No.-13-02/2-grih/N. S./2015. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Fire and Emergency Service and State Disaster Response Force Class-III Non-Gazetted Executive Service and their Secvice Conditions, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Fire and Emergency Service and State Disaster Response Force Class–III Non-Gazetted Executive Service Recruitment Rules and Promotion Rules, 2017.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires :–

   (a) "**Appointing Authority** " in respect of the service means the Director General, Fire and Emergency Services and State Disaster Response Force (SDRF) Chhattisgarh;

   (b) "**Committee**" means a Selection Committee approved by the State Government;

   (c) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

   (d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(h) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Chhattisgarh Fire and Emergency Service and State Disaster Response Force Class–III Non-Gazetted Executive Service;

(k) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules,1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.-The service shall consist of the following persons, namely-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the post as specified in Schedule–I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation/contract of such persons who substantively possess such post, in such services, as specified for this purpose.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule- I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be

required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of Government, the exigencies of the service so require, then he may after the approval of General Administration Department (GAD) of Government, adopt such methods of recruitment to the other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued by Government in this regard.

(5) For the post to be filled up by the direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

(7) The Selection Procedure of Competitive Examination contained in clause (a) of sub-rule (1) shall be conducted as under, i.e.-